



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 6 अगस्त, 2020

श्रावण 15, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5

संख्या 617/आठ-5-20-05ई-14 टी0सी0

लखनऊ, 6 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प०आ०-176

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 5क के साथ पठित धारा 55 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (बाइसवाँ संशोधन)
नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (बाइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 में, अनुसूची-एक में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये अभियंत्रण से सम्बन्धित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :- नियम 8 की अनुसूची-एक का संशोधन

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रविष्टियाँ

सेवा	केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद का नाम	पद जिससे पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हकारी सेवा
1	2	3	4
अभियंत्रण (एक)	मुख्य अभियन्ता (सिविल)	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	मौलिक रूप से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर अवश्य नियुक्त हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के रूप में आठ वर्ष की सेवा सम्मिलित करते हुए पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
अभियंत्रण (दो)	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	मौलिक रूप से अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के पद पर अवश्य नियुक्त हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के रूप में आठ वर्ष की सेवा सम्मिलित करते हुए पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियाँ

सेवा	केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद का नाम	पद जिससे पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हकारी सेवा
1	2	3	4
अभियंत्रण (एक)	मुख्य अभियन्ता (सिविल)	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	मौलिक रूप से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रूप में अवश्य नियुक्त हो और अधिक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर दो वर्ष की सेवा सहित 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
अभियंत्रण (दो)	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	मौलिक रूप से अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के रूप में अवश्य नियुक्त हो और अधिक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के पद पर दो वर्ष की सेवा सहित 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 617/VIII-5-20-05E-14 T.C., dated August 6, 2020 :

No. 617/VIII-5-20-05E-14 T.C.

Dated Lucknow, August 6, 2020

IN exercise of the powers under section 55 read with section 5A of the Uttar Pradesh Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as reenacted and amended by the Uttar Pradesh President's (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U. P. Act no. 30 of 1974) and section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Development Authorities Centralized Services Rules, 1985.

THE UTTAR PRADESH DEVELOPMENT AUTHORITIES CENTRALIZED SERVICES (TWENTY SECOND AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Development Authorities Centralized Services (Twenty Second Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Development Authorities Centralized Services Rules, 1985 in Schedule 1 for the existing entries relating to engineering set out in Column-1 below, the entries as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

Amendment of rule 8 of schedule 1

<u>COLUMN-1</u> <i>Existing entries</i>				<u>COLUMN-2</u> <i>Entries as hereby substituted</i>			
Service	Name of the post to be filled in by promotion only	Promotion to be made from the post of	Minimum Qualifying service required for promotion	Service	Name of the post to be filled in by promotion only	Promotion to be made from the post of	Minimum Qualifying service required for promotion
1	2	3	4	1	2	3	4
Engineering (One)	Mukhya Abhiyanta (Civil)	Adhikshan Abhiyanta (Civil)	Must be substantively appointed as Adhikshan Abhiyanta (Civil) and must have completed fifteen years service including eight years service on the post of Adhishasi Abhiyanta (Civil) on the first day of the year of recruitment.	Engineering (One)	Mukhya Abhiyanta (Civil)	Adhikshan Abhiyanta (Civil)	Must be substantively appointed as Adhikshan Abhiyanta (Civil) and must have completed twenty years service including two years service on the post of Adhikshan Abhiyanta (Civil).
Engineering (Two)	Mukhya Abhiyanta (Electrical/Mechanical)	Adhikshan Abhiyanta (Electrical/Mechanical)	Must be substantively appointed as Adhikshan Abhiyanta (Electrical/Mechanical) and must have completed fifteen years service including eight years service on the post of Adhishasi Abhiyanta (Electrical/Mechanical) on the first day of the year of recruitment.	Engineering (Two)	Mukhya Abhiyanta (Electrical/Mechanical)	Adhikshan Abhiyanta (Electrical/Mechanical)	Must be substantively appointed as Adhikshan Abhiyanta (Electrical/Mechanical) and must have completed twenty years service including two years service on the post of Adhikshan Abhiyanta (Electrical/Mechanical).

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 154 राजपत्र (हि०)-2020-(388)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० आवास एवं शहरी नियोजन-2020-(389)-250 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।